फर्द अहकाम

बनाम

ज्य

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/4/18	पक्षकारान के वकील उपस्थित। आज अभिभाषक संघ फागी ने कार्य स्थगित किया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19-4-18 पेश हो।	
19/04/18	पत्रावली पेश। अधिवक्ता [illegible] उप० अधिवक्ता वादी की ओर से [illegible] में साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पाबन्द किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर [illegible] करावें। पत्रावली दिनांक 1-6-18 को पेश हो। 19/04/18	
1-6-18	पत्रावली कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य से इन्कार किया। इसलिए उनके पक्ष की साक्ष्य बंद की जाती है। वादी एवं प्रतिवादी 1 2 के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/6/18 को पेश हो।	
4/6/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश हुई। पक्षकारान वकील उप०। उभयपक्ष को सुना गया। मुताबिक राजीनामा वादी का दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री फ्लक से टंकित करवाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।	

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

...मुकेश कुमार

प्रतिवादी–किशनलाल व अन्य

...संख्या : 142/2016

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.06.2018	**–:निर्णय:–** आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी सं. 3 व 4 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत किया हुआ है। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 1646/4, 1647, 1768, 1769/2, 2018/2, 2437, 2441/2, 2442/1, 2443 कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। आराजी में मृतक शंकर का 1/5 हिस्सा है। वादी शंकर का दत्तक पुत्र है। इस कारण आराजीयात में शंकर के 1/5 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, राजीनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2, ग्राम पंचायत पीपला प्रमाण पत्र दिनांक 02.10.2015, शपथ पत्र मुकेश कुमार, कजोडमल, श्रवणलाल इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में शंकर हिस्सा 1/5 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। शंकर पुत्र रामचन्द की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है न्यायहित में वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1646/4, 1647, 1768, 1769/2, 2018/2, 2437, 2441/2, 2442/1, 2443 कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा ग्राम पीपला, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

Scanned by CamScanner